"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 499] रायपुर, बुधवार, दिनांक 14 अक्टूबर 2015— आश्विन 22, शक 1937

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–13/आठ–परि./2015.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 8 के उप–नियम (3) के खण्ड (च) का लोप किया जाये।

2. अनुसूची–तीन के सरल क्रमांक (1) एवं (2) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1.	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	24 वर्ष	30 वर्ष	**अनिवार्य अर्हता:** 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक।	लोक सेवा आयोग द्वारा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				2. मोटरसाइकिल, भारी मोटरयान तथा भारी यात्री मोटरयान चालन हेतु प्राधिकृत करने वाला ड्रायविंग लायसेंस, नियुक्ति के उपरांत परिवीक्षा अवधि के दौरान, प्राप्त करना होगा।	
2.	परिवहन उप निरीक्षक (तकनीकी)	21 वर्ष	30 वर्ष	**अनिवार्य अर्हताः** 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। 2. मोटरसाइकिल, भारी मोटरयान तथा भारी यात्री मोटरयान चालन हेतु प्राधिकृत करने वाला ड्रायविंग लायसेंस, नियुक्ति के उपरांत परिवीक्षा अवधि के दौरान, प्राप्त करना होगा।	लोक सेवा आयोग द्वारा।"

No. F-1-13/viii-Trans/2015.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, The Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Transport Department Sub-ordinate, Class II (Executive) Service Recruitment and Condition of Service Rules, 2008, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. Clause (f) of sub-rule (3) of rule 8 shall be omitted.

2. For serial number 1 & 2 and entries relating thereto of Schedule-III, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1.	Assistant Regional Transport Officer	24 Years	30 Years	**Compulsory Qualification :** 1. Graduation from any recognized University in Automobile Engineering or Mechanical Engineering. 2. Driving License which authorizes to drive motor cycle, heavy motor vehicle and heavy passenger motor vehicle, shall have to be obtained during the probation period after appointment.	By Public Service Commission

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Transport Sub Inspector (Technical)	21 Years	30 Years	**Compulsory Qualification :** 1. Graduation from any recognized University and diploma in Automobile Engineering or Mechanical Engineering from any recognized University /Institute. 2. Driving License which authorizes to drive motor cycle, heavy motor vehicle and heavy passenger motor vehicle, shall have to be obtained during the probation period after appointment.	By Public Service Commission."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.